


25.07.2024:- पत्रावली पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया वादी व वादी वकील द्वारा वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाही जा रही है वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असातन/वकालतन उपस्थित नहीं आये। वादी व वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने के कारण वाद पत्र वादी अदम पैरवी/अदम हाजरी के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

